

भारत के प्रवासी उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन

दीपक नाथ¹, डॉ. हेमा²

- ¹ शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, एसएस जे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्याल्दे, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा उत्तराखण्ड, भारत
- ² विभागाध्यक्ष, एवम् असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, एसएस जे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्याल्दे, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा उत्तराखण्ड, भारत

सारांश

उत्तराखण्ड में प्रवासियों (माइग्रेशन) का एक अध्ययन, पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हो रहे पलायन को दर्शाता है, जिसके कारण गाँव 'भूतिया' (Ghost Villages) बन रहे हैं। पलायन कृषि संकट और बुनियादी ढाँचे की कमी से प्रेरित है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति को गम्भीर चुनौती दे रहा है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण खेती-बाड़ी (कृषि) में नुकसान, रोजगार के अवसरों की कमी, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, और सड़क बिजली व पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी। पलायन के मुख्य कारण हैं। पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग तेजी से मैदानों (जैसे- देहरादून, हल्द्वानी) या उत्तराखण्ड से बाहर जा रहे हैं। जिससे हजारों गांव खालीया अर्ध-खाली हो गए हैं, जिन्हें भूतिया गाँव (Ghost Villagers) भी कहा जाने लगा है। खेतीयोग्य भूमि बंजर हो रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। पुरुषों के पलायन के कारण महिलाओं पर कृषि और घरेलू कार्यों का अत्यधिक बोझ बढ़ गया है। पारंपरिक संस्कृति और त्योहारों के लिए भी लोग कम हो रहे हैं। चूँकि, भारत सरकार के अनुसार "वोकल फोर लोकल" के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, पर्यटन, और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं (सड़क, स्वास्थ्य) को सुधारने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि लोग अपने गांवों में रुके। कृषि आधारित उद्योग, पशुपालन और ऊन उद्योग में कास-ब्रीडिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। उत्तराखण्ड में पलायन एक सतत समस्या है, लेकिन सही स्थानीय विकास नीतियों और बुनियादी ढाँचे के विकास से इस पर लगाम लगाई जा सकती है।

मूल शब्द: भारतीय प्रवासी, प्रवासी भारतीय दिवस, उत्तराखण्ड में प्रवास, ग्रामीण पलायन और रोजगार, प्रवासी उत्तराखण्ड प्रकोष्ठ

भारत के प्रवासी, जिन्हें भारतीय प्रवासी भी कहा जाता है, वे भारतीय मूल के लोग हैं जो भारत के बाहर रहते हैं। इसमें अनिवासी भारतीय (NRIs) और भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs) शामिल हैं। भारतीय प्रवासी दुनिया में सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक है, जिसमें 110 से अधिक देशों में 35 मिलियन से अधिक लोग शामिल हैं। 18 वाँ प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 ओडिशा सरकार के साथ साझेदारी में, 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। यह पूर्वी भारत में आयोजित होने वाला पहला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था।

उत्तराखण्ड में प्रवास एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से। पलायन के मुख्य कारणों में रोजगार की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, और चुनौतीपूर्ण ग्रामीण जीवन स्थितियाँ शामिल हैं। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई पहल की हैं, जैसे की प्रवासी उत्तराखण्ड प्रकोष्ठ का गठन और प्रवासी सम्मेलन। वर्तमान में प्रवासी उत्तराखण्ड प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवम् उपाध्यक्ष - श्री पूरन चन्द्र नेलवाल जी हैं। सरकार ने प्रवासी उत्तराखण्डियों को राज्य के विकास में शामिल करने के लिए यह प्रकोष्ठ गठित किया है।

प्रवास के प्रमुख कारण

■ पलायन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम हो रही है। जिससे कई गाँव खाली हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम होने से संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। पलायन के कारण शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या और संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। पलायन के कारण सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएँ भी बढ़ रही हैं।

सरकार ने प्रवासियों से गाँवों को गोद लेने की अपील की है, जिससे गाँवों के विकास में मदद मिल सके।

- पलायन का एक बहुत बड़ा कारण रोजगार का न होना है। रोजगार की तलाश में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में नौजवान युवक-युवतियाँ अपने घरों से निकलते हैं। ग्रामीण अंचलों में स्थिति और भी खराब है, उनके द्वारा किया जाने वाला पारम्परिक कृषि में रोजगार की कोई संभावना नहीं है। विवश होकर बड़ी संख्या में लोग पहाड़ छोड़कर जा रहे हैं जिससे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी 'दोनों ही उत्तराखण्ड के काम नहीं आ रही हैं।
- शिक्षा भी एक बड़ी वजह है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव में ग्रामीण अंचलों में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास कर रहे हैं। लोग मजदूरी करके भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिला रहे हैं, क्योंकि कोई माँ-बाप नहीं चाहते कि शिक्षा के कारण उनके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाये।
- आजादी के इतने वर्षों के बाद भी ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य की मौजूदा स्थिति भयावह है। शहरों के महेँगे अस्पतालों में आम आदमी अपना उपचार नहीं कर पाता, जबकि गाँवों में अस्पताल नहीं हैं। गाँव से दूर यदि किसी कस्बे में कोई छोटा अस्पताल ही हो भी तो गंभीर मरीजों की वहाँ तक पहुँचने से पहले मृत्यु हो जाती है। कई बार मरीजों को डोली में बैठाकर अस्पताल पहुँचाना पड़ता है। कस्बे के अस्पताल में पहुँच भी जाये तो मरीजों को वो तमाम स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं, जो शहरी अस्पतालों में हैं।
- संचार, परिवहन जैसे अन्य मुद्दे हैं। इनसे भी उत्तराखण्डवासियों को दो-चार होना पड़ता है। आखिरकार आजादी के इतने वर्षों के बाद भी उत्तराखण्ड के कई गाँवों में अब तक

न संचार है न परिवहन। कुछ गाँवों में संचार सुविधाएँ दी भी गयी तो मौजूदा हालात बहुत खराब हैं। जहाँ लोग 5G की बात कर रहे हैं, वही गाँवों में आजकल बड़ी मुश्किल से कोई G पहुंचा है।

उत्तराखण्ड सरकार की प्रवासियों के लिए नई पहल

उत्तराखण्ड सरकार ने अपने प्रवासियों के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत एक नई वेबसाइट www.pravasiuttarakhandi.uk.gov.in लॉन्च की गई है। यह वेबसाइट उन सभी उत्तराखंडियों के लिए एक वरदान साबित होगी जो वर्तमान में राज्य से बाहर रह रहे हैं, और अपने राज्य से जुड़े रहना चाहते हैं। प्रवासी उत्तराखण्ड प्रकोष्ठ' नामक इस पहल का उद्देश्य प्रवासियों को उनके ज्ञान, कौशल और वैश्विक पहुँच का उपयोग करके उत्तराखण्ड की प्रगति यात्रा में शामिल करना और उन्हें उनकी जड़ों के करीब लाना है। यह प्रकोष्ठ प्रवासियों के हितों और कल्याण को पूरा करेगा और उनके स्थानीय मुद्दों को हल करने की दिशा में काम करेगा।

उत्तराखण्ड के लाखों लोग देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। इन प्रवासियों का राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इस वेबसाइट के माध्यम से सरकार ने प्रवासियों को राज्य के विकास में शामिल करने का एक मंच प्रदान किया है। यह पहल न केवल प्रवासियों को उनके राज्य से जोड़ेगी बल्कि राज्य के विकास को भी गति देगी।

इस वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न देशों और अन्य राज्यों में रह रहे उत्तराखंडियों तक पहुंचना और उनका डेटाबेस तैयार करना है। अपने मूल राज्य के प्रति लगाव और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना है। प्रवासियों की युवा पीढ़ी को उत्तराखण्ड राज्य की संस्कृति और भाषा से परिचित कराना है। राज्य के विकास की प्रक्रिया में प्रवासियों की विशेषज्ञता, अनुभव और वित्तीय ताकत का उपयोग करना है। देश से बाहर रह रहे प्रवासियों को उत्तराखण्ड एन-आर आई पहचान पत्र जारी करना। प्रवासियों को उनके उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियों के लिए उचित सम्मान और पुरस्कार प्रदान करना। उत्तराखण्ड प्रवासी दिवस के माध्यम से समय-समय पर प्रवासियों के साथ परामर्श और विचार-विमर्श के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करना।

अध्ययन के मूल उद्देश्य

- **पलायन के कारणों की पहचान:** ग्रामीण क्षेत्रों से आजीविका की तलाश, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण हो रहे पलायन के कारणों का विश्लेषण करना।
- **भूतिया गाँव (Ghost Villages) का अध्ययन:** राज्य में ऐसे गाँवों पता लगाना जहाँ जनसंख्या बहुत कम हो गई है। या लोग पूरी तरह से पलायन कर चुके हैं।
- **जनसांख्यिकीय बदलाव का आकलन:** पर्वतीय जिलों (जैसे-चंपावत आदि) में 5-10: या इससे अधिक अर्ध-स्थायी या स्थायी प्रवास के प्रतिशत का विश्लेषण करना।
- **सामाजिक आर्थिक प्रभाव:** प्रवासन का स्थानीय अर्थव्यवस्था, कृषि और परिवार की संरचना (जैसे केवल महिलाओं या बुजुर्गों का पीछे रह जाना) पर पड़ने वाले परिणामों का अध्ययन करना।
- **नीति निर्माण (Polity Formulation):** विकास एवम् प्रवासन आयोग के माध्यम से सही डेटा एकत्र कर, प्रवासी लोगों को वापस लाने या उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार (जैसे

स्व-रोजगार, सूक्ष्म उद्यम) के अवसर प्रदान करने हेतु सुझाव देना।

- **संतुलित क्षेत्रीय विकास:** पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों के बीच के अन्तर को कम करने के लिए विकास मॉडल को समझना।

परिकल्पना

- **पुश और पुल फैक्टर (Push and Pull Factors):** यह परिकल्पना पुश फैक्टर (पहाड़ों की कठिनाइयाँ-जैसे आजीविका की कमी, खराब सड़क 'स्वास्थ्य सुविधा) और 'पुल फैक्टर' (शहरों के आकर्षण-जैसे बेहतर नौकर शिक्षा) पर आधारित है, जो लोगों को पलायन के लिए मजबूर करती है।
- **आर्थिक कारण:** पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि की कम उत्पादकता और सीमित रोजगार के अवसरों के कारण लोग शहर की ओर रुख करते हैं।
- **जनसांख्यिकीय परिवर्तन:** उत्तराखण्ड के पहाड़ी जिलों में जनसंख्या घट रही है। जबकि मैदानी जिलों (देहरादून, उधम सिंह नगर) में दुबाव बढ़ रहा है।
- **रिवर्स माइग्रेशन:** कोरोना काल के बाद, सरकार ने प्रवासियों को वापस अपनी जड़ों से जोड़ने और राज्य में रोजगार के लिए अवसर पैदा करने के लिए 'रिवर्स माइग्रेशन' (Reverse Migration) को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित किया है।

अनुसंधान विधि

उत्तराखण्ड में प्रवासियों (Migration) से संबंधित अनुसंधान के लिए आमतौर पर मिश्रित विधि (Mixed Methods) का उपयोग किया जाता है। जिसमें प्राथमिक (Primary) और माध्यमिक (Secondary) दोनों प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण शामिल होता है। ग्रामीण विकास एवम् प्रवासन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड की रिपोर्ट इस सन्दर्भ में प्रमुख आधार हैं।

- **मिश्रित विधि (Mixed Approach):** मात्रात्मक और गुणात्मक,
- **वर्णनात्मक और संख्यात्मक विधि:** प्रवास के कारण, सांख्यिकीय उपकरण, प्रतिशत (Percentages), और सूचकांकों (Indices)
- **प्राथमिक डेटा (Primary Data):** क्षेत्र सर्वेक्षण (Field Survey), अर्ध-संरचित साक्षात्कार (Semi-Structured Interview), टेलिफोनिक सर्वेक्षण
- **माध्यमिक डेटा (Secondary data):** पलायन आयोग रिपोर्ट, जनगणना, सरकारी रिपोर्ट।

सम्बन्धित साहित्य का अवलोकन

अध्ययनों से पता चलता है, कि पलायन केवल गरीबी के कारण नहीं, बल्कि बेहतर जीवन स्तर की तलाश में हो रहा है।

- रोजगार का अभाव
- शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ
- कृषि की दयनीय स्थिति
- जलवायु परिवर्तन
- बुनियादी ढांचे की कमी
- पलायन मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों (गढ़वाल और कुमाऊँ) से मैदानी इलाकों (उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार) की ओर

है, जहाँ 2001–2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक रही है।

- अधिकांश मामलों में परिवार के पुरुष सदस्य रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, जिससे पीछे महिलाओं पर काम का बोझ बढ़ जाता है।
- राज्य के 100: से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में कोई शिक्षक नहीं है, जो पलायन के कारण हुई रिक्तियों को दर्शाती है।

साहित्य समीक्षा यह स्पष्ट करती है कि उत्तराखण्ड का पलायन एक जटिल समस्या है जो केवल आर्थिक नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक मुद्दा भी है। प्रवासियों की भूमिका, उनकी द्वारा भेजी गई आय और राज्य में लौटने की क्षमता (Reverse Migration) अब भविष्य के विकास का एक प्रमुख कारक है।

उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक प्रभाव

- आर्थिक रूप से सुदृढ़ता (Remittances) प्रवासियों द्वारा घर भेजे जाने वाले पैसे (Remittances) ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अध्ययन बताते हैं कि यह राशि प्रवासी परिवारों की आय में लगभग 26: (और कुछ मामलों में 50: तक) का योगदान करती है, जिससे गरीबी कम करने में मदद मिली है।
- **जीवन स्तर में सुधार:** प्रवासियों द्वारा भेजे गए पैसे का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, और घर के पुनर्निर्माण में किया जा रहा है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
- **शिक्षा और कौशल में वृद्धि:** पलायन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के युवा उच्च शिक्षा और बेहतर कौशल (Skill Development) प्राप्त कर रहे हैं, जो अन्ततः राज्य के मानव संसाधन को समृद्ध करता है।
- **बचत में वृद्धि:** उत्तराखण्ड के कुमाऊँ और गढ़वाल मण्डल में पलायन के कारण लोगों के बचत में वृद्धि हुई है (लगभग 65–67: लोग) जिससे पारिवारिक आर्थिक स्थिति सुधरी है।
- **नई तकनीकों और विचारों का आगमन:** प्रवासी अपने साथ नए विचार, तकनीकी और व्यावसायिक कौशल लाते हैं, जिसे वे अपने मूल स्थानों पर लागू करते हैं, जिससे स्थानीय कृषि और छोटे व्यवसायों में सुधार की संभावना बनती है।
- **संस्कृति का संरक्षण:** प्रवासी उत्तराखण्ड देश विदेश में रहकर भी अपनी पारम्परिक संस्कृति और विरासत को जीवित रखे हुए हैं, जो "प्रवासी उत्तराखण्ड" (Pravasi Uttarakhandi) सम्मेलनों के माध्यम से राज्य के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में नकारात्मक प्रभाव

- **गाँवों का खाली होना:** अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर पलायन के कारण 1000 से अधिक गाँवों में अब कोई निवासी नहीं बचा है, या वे पूरी तरह से निर्जन हो चुके हैं।
- **बूढ़ा होता पहाड़:** युवा आजीविका के लिए मैदानों या दूसरे राज्यों में चले गए हैं, जिससे गाँवों में मुख्य रूप से बुजुर्ग और महिलायें रह गई हैं, जो खेती और अन्य गतिविधियों को संभालने में सक्षम नहीं हैं।

- **अनुत्पादक खेती:** खेती योग्य भूमि को छोड़कर लोग जा रहे हैं, जिससे खेती के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्रफल तेजी से कम हो रहा है।

- **खाद्य असुरक्षा:** कृषि कार्य के लिए –श्रम की कमी के कारण, गाँव के लोग अब अपनी जरूरतों के लिए मैदानी इलाकों पर निर्भर हो गए हैं।

- **पारम्परिक संस्कृति का हास:** पलायन से पारम्परिक समुदाय बिखर रहे हैं, और स्थानीय प्रथाओं, उत्सवों और पारम्परिक नेतृत्व का लोप हो रहा है।

- **स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर:** गाँव से पलायन के कारण स्थानीय संवाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। जो क्षेत्रीय विकास में बाधक है

- **मानव-वन्यजीव संघर्ष:** खेती न होने और गाँवों के सुनसान होने से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं, –जिससे बचे हुए ग्रामीणों को परेशानी हो रही है।

प्रवास को रोकने के समाधान स्वम् सुझाव

- **स्थानीय रोजगार और आजीविका के साधन:** स्वरोजगार को बढ़ावा देना होगा, कृषि और बागवानी के अन्तर्गत पारम्परिक खेती की जगह नकदी फसलों (जैसे- बेमौसमी सब्जियाँ, मशरूम, जड़ी-बूटी) की खेती को बढ़ावा देना होगा। पॉलीहाउस तकनीकी को अपनाया जाएगा।
- **आधारभूत संरचना में सुधार:** हर गाँव को सड़क मार्ग से जोड़ना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुँच को बढ़ाना होगा ताकि युवा शिक्षा और काम के लिए शहरों की ओर न भागें।
- **रिवर्स माइग्रेशन (Reverse Migration):** के लिए प्रोत्साहन: ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'लखपति दीदी' जैसी योजनाओं का विस्तार करना होगा। जो लोग गाँव छोड़कर चले गए हैं, उनकी खाली पड़ी जमीनों या घरों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों (जैसे-होमस्टे) के लिए प्रोत्साहित करना होगा।
- **आपदा प्रबंधन और अनुकूलन:** जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए जल संचयन (Rain Water Harvesting) और वनीकरण (Tree Plantation) को बढ़ावा देना होगा।
- **कौशल विकास (Skill Development):** स्थानीय युवाओं को होटल प्रबंधन, टूर गाइड, और तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना, ताकि वे स्थानीय पर्यटन और छोटे उद्योगों में काम कर सकें।

निष्कर्ष

भारत के प्रवासी उत्तराखण्ड राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उत्तराखण्ड सरकार प्रवासी सेल और पंचायतों के माध्यम से उन्हें स्थानीय विकास, पर्यटन और लघु उद्योगों में निवेश के लिए जोड़ रही है। 2030 तक GDP दोगुनी करने और रोजगार सृजन के लिए प्रवासियों का ज्ञान, कौशल और तकनीकी ज्ञान का उपयोग किया जा रहा है। उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य से बाहर रहने वाले निवासियों से जुड़ने और उनके कौशल का

लाभ उठाने के लिए प्रवासी उत्तराखण्डी सैल बनाया है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए प्रवासियों को वापस आकर निवेश करने और काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 6200 से अधिक लोगों ने घर वापसी की है, जो ज्यादातर पर्यटन और लघु उद्योगों में काम कर रहे हैं। प्रवासी दिग्गजों को राज्य के विकास (जैसे पर्यटन, स्वास्थ्य) में शामिल किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर सीमावर्ती जिलों (उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़) से रोजगार के अभाव के कारण बड़ी संख्या में युवा पलायन कर चुके हैं, जिससे कई गाँव खाली हो रहे हैं। 2030 तक राज्य की G.D.P. दोगुनी करने के लिए प्रवासी विशेषज्ञता और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य में तेजी से सड़क और रेल (ऋषिकेश-कर्णप्रयाग) का विकास किया जा रहा है ताकि प्रवासियों और पर्यटकों को सुविधा हो। प्रवासी उत्तराखण्डी प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य प्रवासी उत्तराखण्डियों के ज्ञान, कौशल और वैश्विक पहुँच का उपयोग करके उन्हें उत्तराखण्ड की प्रगति में शामिल करना और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ना है। यह प्रकोष्ठ प्रवासी उत्तराखण्डियों के हितों और कल्याण की देखभाल करेगा और उनकी स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए भी काम करेगा। उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों और उत्तराखण्ड से बाहर रहने वाले लोगों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रवासी उत्तराखण्डी प्रकोष्ठ का गठन सामान्य प्रशासन विभाग (उत्तराखण्ड सरकार) के अन्तर्गत किया गया है। उत्तराखण्ड के प्रवासी न केवल अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं, बल्कि राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गए हैं।

14. मेहता, जी. एस. (1998) (Development of Uttarakhand: Issues and Perspectives, APH Publishing)

सन्दर्भ सूची

1. "Migration, Gender and Home Economics in Rural North India" दिनेश के नौटियाल, नलिन सिंह नेगी, राहुल के. गैरोला द्वारा (यह पुस्तक गढ़वाल क्षेत्र में प्रवास के प्रभाव पर विस्तृत शोध प्रदान करती है)
2. "Uttaranchal: Dilemma of Plenties and Scarcities" – विशम्भर प्रसाद सती, कमलेश कुमार द्वारा (इसमें पलायन और विकास के मुद्दों पर अध्याय शामिल हैं)
3. "Development of Uttarakhand: Issues and Perspectives" जी. एस. मेहता (इसमें पलायन के कारणों की विस्तृत चर्चा है)
4. Pravas- html-org
5. www- IndianeUpres-com
6. www- Indiawaterportal-org
7. Uttarakhanal Census Data 2001–2011
8. पन्त, राजेन्द्र, (2015), उत्तराखण्ड में जनसंख्या प्रवास, एक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध कुमाँऊ विश्वविद्यालय नैनीताल।
9. शोध पत्र (Research Gate): ज्योति जोशी द्वारा लिखित "जनसंख्या प्रवास, कारण व प्रभाव उत्तराखण्ड राज्य के विशेष सन्दर्भ में"
10. अध्ययन (Migration Letters): उत्तराखण्ड हिमालय में प्रवासन: इसके प्रकार, कारण और परिणाम— इसमें ओ. पी. सिंह (1990) का अध्ययन शामिल है।
11. ग्राम्य विकास एवम् पलायन आयोग (Rural Development and Migration Commission), उत्तराखण्ड (2023) पलायन पर विशेष रिपोर्ट
12. NSDC (2010). डिस्ट्रिक्ट वाइज स्किल गैप स्टडी फॉर द स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली।
13. उत्तराखण्ड सरकार (2022). ग्रामीण विकास विभाग – मुख्यम पलायन रोकथाम योजना।